

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग,  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)  
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

एफ 61(09) SSAAT / SSAAT / 2019 / 1274

दिनांक 19/06/2024

कार्यालय आदेश

सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियमित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष

राज्य में वर्ष 2024-25 के सामाजिक अंकेक्षण का कलैण्डर आदेश क्रमांक एफ 61(272)SSAAT/ सा.अंके.निर्देश/2024-25 दिनांक 12.6.2024 द्वारा जारी हो चुका है। जिसके अनुसार सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 18जून, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 25.02.2025 तक लगातार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में दो बार सम्पन्न होगा। साथ ही आदेशों में विधिवत रूप से सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित किये जाने हेतु दिशा निर्देश शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किये गये हैं।


उक्त कार्य के पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण नियंत्रण कक्ष निम्नानुसार गठित किया जाता है:-

नियंत्रण कक्ष कमरा नंबर 8320 दूरभाष नंबर 2227725

क्रसं	प्रभारी अधिकारी	नियंत्रण अधिकारी का नाम	जिले का नाम
1.	श्री मातादीन सिंह, AAO II Mobile -9413205280	श्री युगल किशोर लेखाधिकारी (प्रशासन) मो. 9352160074	1.डूंगरपुर 2. बांसवाडा 3. चित्तोडगढ 4. प्रतापगढ 5. उदयपुर
2.	श्री महेश गुप्ता, AAO II Mobile- 94144872457		1.अलवर 2. टोंक 3. सीकर 4. जयपुर 5. हनुमानगढ
3.	श्री मोहन लाल, AAO II Mobile - 9784244001		1.श्रीगंगानगर 2. झुझनू 3. बीकानेर 4. चुरू 5. जालौर
4.	श्री ईश्वर दास कन्ना, AAO II Mobile- 9214991246	श्रीमती मनोज कँवर उप निदेशक मो. 8290696949	1.करोली 2. बांरा 3. भरतपुर 4. बूंदी 5. धोलपुर 6. कोटा 7. झालावाड
5.	श्री कमलेश रावत, AAO II Mobile 9414463082		1.बाडमेर 2. दौसा 3. जैसलमेर 4.राजसमंद 5. सवाई माधोपुर 6. सिरोही
6.	श्री किशन लाल शर्मा, AAO II Mobile- 9413453163		1.अजमेर 2. भीलवाडा 3. जोधपुर 4. नागौर 5 पाली

उपरोक्त नियमित नियंत्रण कक्ष दिनांक 19.06.2024 से कार्य प्रारंभ करेगा तथा समस्त प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण की अवधि में दिन-प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतें/सूचनाएँ आदि नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, SSAAT को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होंगे। नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें की नियंत्रण कक्ष नियमित एवं प्रभावी रूप से कार्य करें।

कार्यालय आदेश क्रमांक 1252 दिनांक 18.6.2024 के तहत प्रतिदिन की ड्यूटी जिन अधिकारियों की लगायी गई है वे उपरोक्त प्रभारी अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे तथा दिन-प्रतिदिन की सूचना से प्रभारी अधिकारियों को अवगत करायेगें।


  
(संदीप चौहान)  
निदेशक, (SSAAT)

एफ 61(09)SSAAT / SSAAT / 2019 / 1275-35

दिनांक 19/06/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, जयपुर
5. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर समस्त
6. निजी सचिव, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त
7. संबंधित जिला लोकपाल (मनरेगा)
8. विकास अधिकारीगण समस्त
9. संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण को पालनार्थ
10. प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु
11. रक्षित पत्रावली

  
19/6/2024  
(संदीप चोहान )  
निदेशक, (SSAAT)